

हरियाणा में नयिम-134ए खत्म : अब आरटीई के तहत पढ़ेंगे गरीब बच्चे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नयिम, 2003 के नयिम 134-ए को हटाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को नज्जी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की सुविधा वापस लेने संबंधी अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बदि

- नयिम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर प्रवेश मलिता था और वे 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकते थे।
- नयिम-134ए के खत्म हो जाने के बाद अब गरीब परिवार के बच्चों को नज्जी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखलि नहीं मलिगा। सरकार शिक्षा का अधिकार नयिम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नज्जी स्कूलों में 25 फीसदी दाखलि दलिाएगी।
- नयिम-134ए को खत्म करने के लयि स्कूल शिक्षा वभिग ने हरयाणा वदयालय शिक्षा नयिम, 2003 में संशोधन कयिा है। संशोधति नयिमों को अब हरयाणा वदयालय शिक्षा नयिम, 2022 कहा जाएगा।
- राज्य में शिक्षा का अधिकार अधनयिम, 2009, (RTE Act) की धारा 12(1)(सी) लागू है। इसके तहत नज्जी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लयि 25% सीटों का आरक्षण अनविर्य है।
- नयिम 134-ए हरयाणा स्कूल शिक्षा नयिमों के तहत एक प्रावधान था, जो आरटीई से पहले मौजूद था। नया अधनयिम ईडब्ल्यूएस को 25 प्रतिशत लाभ प्रदान करता है, जबकि नयिम 134-ए केवल 10 प्रतिशत का लाभ प्रदान करता है।